



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22075

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 4144/2025

संदीप उर्फ दिशांत मिश्रा

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता :- प्रदीप कुमार, अंशुमन सिंह, प्रदीप कुमार, विपुल सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप कुमार मौर्या, प्रियंका यादव,

रिजवानुल हक अंसारी

न्यायालय संख्या. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमन सिंह, प्रतिवादी संख्या.1-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या.2-परिवादी की ओर से सुश्री प्रियंका यादव को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह दांडिक अपील अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-क(2) के अंतर्गत, माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अयोध्या द्वारा वाद अपराध संख्या. 302/2021, दिनांक 30.11.2021, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v), थाना खण्डासा, जनपद अयोध्या में पारित आदेश दिनांक 09 दिसम्बर 2025 को अपास्त किए जाने हेतु योजित की गई है। साथ ही, उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को जमानत पर मुक्त किए जाने की भी प्रार्थना की गई है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु के अनुसार, घटना 27 अक्टूबर 2021 को लगभग रात 1.30 बजे की बताई गई है, जब कथित तौर पर अपीलार्थी ने परिवादी के घर में प्रवेश किया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया तथा उसके द्वारा शोर मचाने पर वह वहां से भाग निकला।

4. यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना के पांच सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के पश्चात दर्ज कराई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चोट आख्या के अवलोकन से स्पष्ट रूप से यह तथ्य इंगित होता है कि पीड़िता के शरीर पर न तो कोई योनि में घाव है और न ही वल्वा में दरार है, इसलिए, चिकित्सीय परीक्षण अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि संबंधित चिकित्सक के बयान में बिना किसी बाहरी या आंतरिक चोट के केवल दर्द का उल्लेख किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास के 2 दिसंबर 2025 से कारागार में निरुद्ध है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने विवेचना के दौरान पूर्ण सहयोग किया था और आरोप-पत्र दाखिल होने पर संबंधित न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके पश्चात जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया, परिणामस्वरूप वर्तमान अपील दायर की गई है।

5. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि भी करते हैं। हालांकि, यह स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन करने के पश्चात, इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर प्रवेश किए बिना और विचारण में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के अधीन, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि घटना 27 अक्टूबर 2021 को हुई बताई गई है, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल 30 नवंबर 2021 को दर्ज की गई है, और इसे दर्ज करने में हुए विलंब का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जो पूर्व-चिन्तन का संकेत दे सकता है। चिकित्सीय आख्या भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि करती प्रतीत नहीं होती है, जो बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास के 2 दिसंबर 2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी बताया गया है कि विचारण अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलों का समुचित संज्ञान लिए बिना पारित किया गया है और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है तथा दिनांक 9 दिसंबर, 2025 के आदेश को अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. अपीलार्थी/आवेदक संदीप उर्फ दिशांत मिश्रा, जो उपरोक्त अपराध संख्या से संबन्धित है, को संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और उसी समान राशि के दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो यहां न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) अपीलार्थी/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलार्थी/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) अपीलार्थी/आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) अपीलार्थी/आवेदक इस आशय का एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत उन तिथियों पर स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (v) अपीलार्थी/आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।
- (vi) यदि अपीलार्थी/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलार्थी/आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसे भी निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

मार्च 30, 2026

प्रभात

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।